provisions of six year automatic disqualification for anyone found guilty of corrupt practices during elections to Parliament and State Legislatures;

(b) if so, what steps are being taken in that direction; and

(c) what will be the role of Election Commission in the proposed provision, if any?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Final decision has not yet been taken.

**राजस्थान से निर्यात की गई वस्तुएं**

1006. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष राजस्थान से किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-सरकार को क्या क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों, कुटीर-उद्योगों को सरकार द्वारा क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और पिछले वर्ष राजस्थान को दी गई इस प्रकार की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) :** (क) और (ख) निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं बनाए जाते हैं । तथापि राजस्थान से पूलयवान पत्थर, हस्तशिल्प, संगमरमर इत्यादि मदों का निर्यात किया जाता है । निर्यात संवर्धन के उपायों के रूप में राजस्थान सहित सभी राज्यों के निर्यातकों को सामान्य एक मुश्त प्रोत्साहन दिया जाता है ।

**Services norms of Messangers employed in SBI**

1007. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many branches of the State Bank of India, Patna, Messangers are employed on daily wage basis on a very petty amount ranging between Rs. 10 to 20 per day though they perform duty for 7 hours or so like other regular employees;

(b) whether it is also a fact that Canteen boys in various offices of the Bank get consolidated salary varying from Rs. 150 to Rs. 600 per month;

(c) whether this is in violation of the Minimum Wages Act and the guideline issued by the Central Government regulating employment of daily-rated staff; and

(d) if the answers to parts (a), (b), and (c) above be in the affirmative, what steps are being taken to stop such unfair practices and ensure payment as per the provisions of the Minimum Wages Act?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (d) The information is being collected and to the extent possible will be laid on the Table of the House.

**Export of rice**

1008. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the quantity of rice exported from India to various countries during the last three years; year-wise and country-wise and at what price; and

(b) what is the target fixed for the export of rice during 1990-91?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) The information is given in the statements annexed.
(See Appendix CLV Annexure No. 28).

(b) The target has yet to be finalised.

**Export of buffalo meat to United Arab Emirates**

1009. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that UAE markets have in the recent past boycotted the Indian buffalo meat resulting in foreign exchange loss to the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken or propose to take in the matter?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**उपज प्राप्ति के बाद सुविधाओं के अभाव में फल और सब्जियों का सड़ जाना**

1010. **श्री अजीत जोगी :**
**कुमारी आलिया :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपज प्राप्ति के बाद की सुविधाओं के अभाव में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग सड़ जाता है या बेकार चला जाता है ;

(ख) सरकार किसानों को उपज प्राप्ति के बाद की कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ताकि उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके ; और

(ग) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की प्रोन्नति और विकास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव)**: (क) यद्यपि कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है; यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक वर्ष कटाई उपरान्त अपर्याप्त हैंडलिंग सुविधाओं तथा उत्पादकों का प्रसंस्करण-कर्त्ताओं तथा ताजे फल और सब्जियों के बाजार के साथ संयोजन न होने के कारण प्रत्येक वर्ष 3,000 करोड़ रुपये के मूल्य के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती है।

(ख) और (ग) संसाधित खाद्य उद्योग की संवृद्धि और विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र मे ये स्कीमें शामिल की गई हैं :— उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच संयोजन को सुदृढ़ बनाना, गुण नियंत्रण को सुदृढ़ करना, विस्तार और शिक्षा बुनियादों सुविधाओं का विकास करना नए प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान प्रसंस्करण यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों और सहकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देना। ये स्कीमें फल तथा सब्जी उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

कृषि विभाग के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बागवानी फसलों की कटाई के बाद की व्यवस्था से संबंधित एक स्कीम भी है।

**कुल उत्पादन-लागत में से पैकिंग सामग्री पर आने वाली लागत**

1011. **श्री अजीत जोगी :**
**कुमारी आलिया :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिमरूप से प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों की कुल उत्पादन लागत में से पैकिंग सामग्री पर कितनी लागत आती है ; और

(ख) पैकिंग पर आने वाली लागत में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके ?